समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला नजारत शाखा)

टेन्ट शामियाना, कुर्सी, टेबुल, इलेक्ट्रिक इत्यादी हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

समाहरणालय, जहानाबाद स्थित कार्यालयों एवं सम्बद्ध अन्य कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों में उपयोग हेतु टेन्ट शामियाना, कुर्सी, टेबुल, इलेक्ट्रिक इत्यादी सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला नजारत शाखा, समाहरणालय, जहानाबाद में 11 बजे पूर्वाहन से 03 बजे अपराह्न तक निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त की जायेगी।

प्रथम		द्वितीय (प्रथम निविदा रद्द हाने की स्थिति में)		तृतीय (द्वितीय निविदा रद्द हाने की स्थिति में)	
निविदा आमंत्रण की तिथि (3:00 बजे अप0)	निस्तारण की तिथि (4:00 बजे सांय)	निविदा आमंत्रण की तिथि (3:00 बजे अप0)	निस्तारण की तिथि (4:00 बजे सांय)	निविदा आमंत्रण की तिथि (3:00 बजे अप0)	निस्तारण की तिथि (4:00 बजे सांय)
26.12.2019	**26.12.2019**	**03.01.2020**	**03.01.2020**	**13.01.2020**	**13.01.2020**

निविदा की शर्तें:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए। निविदादाता को निविदा के साथ सुरक्षित जमा राशि के रूप में मो0 10000/–(दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिलाधिकारी, जहानाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
2. अद्यतन आयकर पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है। यह भी अंकित करना है कि संबंधित प्रतिष्ठान पंजीकृत है का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. अद्यतन सीजीएसटी/एसजीएसटी अदायगी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
4. निविदादाता को शपथ–पत्र देना होगा कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में वे काली सूची में दर्ज नहीं है तथा उनके द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ सही है। प्रतिष्ठान के स्वामी निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे एवं वे या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा में भाग लेंगे।
5. निविदादाता द्वारा निविदित दर सभी करों सहित होगा। दर जिस रूप (Unit) में मांगा गया है उसी रूप में अंकित करें।
6. विहित गुणवता में एवं निर्धारित अवधि पर सामग्रियों की आपूर्ति ससमय नहीं किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा इसी दर पर किसी भी अन्य आपूर्तिकर्त्ता से आपूर्ति लेने की स्वतंत्रता विभाग की होगी। सामग्रियों की आपूर्ति हेतु संबंधित स्थान के लिए परिवहन हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।
7. दर समान होने पर स्थानीय संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी एवं जिस फर्म का दर न्यूनतम स्वीकृत होगा, एक वर्ष तक सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
8. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अलग से कोई अग्रिम देय नहीं होगा। आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की विस्तृत जानकारी जिले के बेवसाईट jehanabad.bih.nic.in पर एवं जिला नजारत शाखा, जहानाबाद में उपलब्ध है।
9. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।